

Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding police cases against Dalit students, youths in Uttar Pradesh.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक्ट के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पूरे देश में लोकतांत्रिक रूप से संविधान के अनुसार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे । लेकिन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी गलत मंशा के अनुरूप दलित विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए हजारों संख्या में छात्रों, युवाओं एवं अन्य के ऊपर 24 से 32 धाराओं में मुकदमे लादकर उनका जीवन बर्बाद करने पर तुली है । आज भी अन्य स्थानों पर पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाने की धमकी दे रही और फंसा भी रही है । अब इन हजारों छात्रों एवं युवाओं के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए हैं, जिससे इनका जीवन जीना दुभर हो गया है । इसका कारण प्रथम तो बेरोजगारी और दूसरा आर्थिक विपन्नता है । बहुत से छात्रों, जिनका चयन किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में हो गया है, इस मुकदमे के चलते अपनी नौकरी से वंचित हो रहे हैं । इससे बेरोजगारी और जनाक्रोश बढ़ रहा है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मौखिक रूप से नहीं बल्कि वास्तव में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दलित हितैषी है तो 2 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में दर्ज हुए समस्त मुकदमों को वापस ले और संविधान की मूल आत्मा की रक्षा करे । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।